न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/2004/26/बाड़मेर

1. श्रीमती उमति पत्नी खम्मे खां,
2. हबीब खां पुत्र खम्मे खां,
3. कालूखां पुत्र खम्मे खां,
4. धूडी पुत्री खम्मे खां,
5. शेरूखां पुत्र खम्मे खां,
6. हजुडी पुत्री खम्मे खां,
7. आकूड़ी पुत्री खम्मे खां,
8. दलकी पुत्री खम्मे खां,

(क्रम 3 से 8) नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता मु. उमति पत्नी खम्मेखां

निवासीगण बडनावा जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

9. नरसिंगदान पुत्र रूपदान
   निवासी कोडूका, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
10. गफूर खां पुत्र थुम्बे खां,
    निवासी बडनावा चारणान, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1. रीमू खां पुत्र अजीम खां मृतक जरिये वारिसान :–
   1/1 मूसे खां पुत्र रीमू खा,
   1/2 आकु खां उर्फ अकबर खां पुत्र रीमू खां,
   1/3 गनी खां पुत्र रीमू खां,
   1/4 नसीर खां पुत्र रीमू खां,
   1/5 हनीफों पुत्र रीमू खां,
   1/6 अनोपी पुत्र रीमू खां
   समस्त निवासी बडनावा जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

–प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
2. श्री डूंगरसिंह राठौड़ व श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।

–निर्णय–

दिनांकः– 17–02–2026

1. हस्तगत द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर (जिसे आगे **"अपील न्यायालय"** लिखा जाएगा) द्वारा अपील संख्या 51/2002 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम बड़नावा जागीर, तहसील पचपदरा में अवस्थित खेत खसरा नंबर–194, क्षेत्रफल 25 बीघा व खसरा नंबर–214 क्षेत्रफल 75 बीघा 17 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 100 बीघा 17 बिस्वा, जो मूलतः मुरीद के खातेदारी में थी, उसकी मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में उसकी पत्नी बच्ची के नाम दर्ज हुई। बच्ची की मृत्यु के पश्चात खम्मे खां ने तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिस कारण से वादी/प्रत्यर्थी रीमू खां द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बालोतरा (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** लिखा जाएगा) के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद में अंकितानुसार उक्त वसीयतनामा फर्जी होकर कानूनी रूप से अमान्य है, क्योंकि बच्ची अकेले सम्पूर्ण भूमि की वसीयत नहीं कर सकती थी, वह मात्र अपने हिस्से की सम्पत्ति के संबंध में ही वसीयत कर सकती थी। बच्ची की मुत्यु के पश्चात विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुरीद खां के वारिसों के नाम होनी चाहिए थी। बच्ची की मृत्यु के पश्चात उसके व मुरीद के वारिसों ने भी उक्त वसीयत की पुष्टि नहीं की। वादी/प्रत्यर्थी रीमू खां द्वारा वाद में जाहिर किया गया कि वह मृतक मुरीद खां का निकट का भाई था तथा वह स्व. मुरीद खां के जीवनकाल में उसके साथ रहता हुआ विवादित खेत पर कब्जेकाश्त था एवं बच्ची की मृत्यु के बाद से अकेले रीमू खां का ही उक्त सम्पत्ति पर निरंतर कब्जा होकर मुरीद खां के खातेदारी अधिकार उसमें निहित हुए। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 20.08.1991 भी वादी रीमू खां के कब्जे को सिद्ध करती है। मुस्लिम कानून के अनुसार मुरीद खां का निकटतम रिश्तेदार और वैध वारिस होने से वादी रीमू खां वादग्रस्त खेत पर खातेदारी हक पाने का अधिकारी है एवं उक्त तथाकथित/मिथ्या वसीयतनामे से वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस कारण से वादी द्वारा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उक्त वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.10.2001 के माध्यम से खारिज किया गया।

3. विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2001 से असंतुष्ट हो वादी/प्रत्यर्थी द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील न्यायालय ने तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 05.01.1991 को संदिग्ध मानते हुए रीमू खां को खम्मे खां की तुलना में स्व. मुरीद खां का नजदीकी रिश्तेदार पाया, जिसके आधार पर अपील न्यायालय ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 28.11.2003 के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2001 को अपास्त किया। अपील न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित हो अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुरीद खां की मृत्यु के पश्चात उसकी एकमात्र वारिस उसकी पत्नी बच्ची थी, जिस पर मुरीद खां की मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त सम्पत्ति धारित हुई। रीमू खां ने संवत 2047 में मुरीद खां की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी पर कोई अधिकार नहीं जताया। रीमू खां

मुरीद का वारिस नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि मूल वाद में विवाद्यक संख्या–1 वादी रीमू खां को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के संबंध में था, जिसे साबित करने का भार वादी/प्रत्यर्थी रीमू खां पर था। वादी रीमू खां उक्त विवाद्यक स्वयं के पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा। रीमू खां को खातेदार तभी घोषित किया जा सकता था जब वह स्वयं को बच्ची का वारिस सिद्ध कर देता अथवा बच्ची को संपूर्ण विवादित आराजी के संबंध में वसीयत किए जाने का अधिकारी नहीं होना सिद्ध कर देता। चूंकि रीमू खां उक्त तथ्य साबित करने में असफल रहा, अतः अपील न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर विधिक त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अभिभाषक के कथनानुसार बच्ची द्वारा प्रतिवादी खम्मे खां के पक्ष में विधिनुसार संपूर्ण विवादित आराजी की वसीयत (इच्छापत्र) दिनांक 05.01.1991 को कर दी गई थी। अपील न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत को भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार देखते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि उनके द्वारा मुस्लिम कानून व्यवस्था के आधार पर निर्णय पारित किया जाना था। प्रकरण में वसीयत के संबंध में कोई विवाद्यक विरचित नहीं किया गया था।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त अपील न्यायालय ने विवाद्यक संख्या–2 को वादी के पक्ष में इसलिए निर्णीत किया है क्योंकि विवाद्यक संख्या–1 उसके पक्ष में निर्णीत किया गया था, जबकि कब्जे के संबंध में अपील न्यायालय ने निर्णय में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। अपील न्यायालय द्वारा वसीयतनामे जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को नजरअंदाज कर मात्र सजरे के आधार पर रीमू खां को नजदीकी रिश्तेदार मानते हुए उसके पक्ष में खातेदारी अधिकार की घोषणा कर विधिक त्रुटि कारित की गई। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2003 को निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2001 को यथावत रखने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RLW 1991 (2) Page 121 व 2010 (2) RRT Page 1029 प्रस्तुत किए।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि मुरीद खां व उनकी पत्नी बच्ची निःसंतान थे। उनकी सेवा–चाकरी हेतु उनका भांजा खम्मे खां उनके साथ रहता था, जिससे प्रसन्न होकर ही बच्ची ने दिनांक 05.01.1991 को खम्मे खां के पक्ष में वसीयतनामा लिखा तथा तहसीलदार, पचपदरा द्वारा वादी/प्रत्यर्थी, प्रतिवादी/अपीलार्थी तथा उनके रिश्तेदारों की उपस्थिति में उक्त वसीयतनामे के संबंध में व मुस्लिम विधि के अनुसार जांच कर खम्मे खां को सही वारिस मानने के उपरांत ही उचित रूप से नामांतरण भरा गया था। अपील न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना करते हुए वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील अस्वीकार कर अपील न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय की पुष्टि करने का निवेदन किया।

7. बहस उभयपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही बडवाना जागीर तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 25 बीघा 16 एवं खसरा नम्बर 214 रकबा 75 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 100 बीघा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार मुरीदखाँ रहा था। मुरीद खाँ के फौत होने के उपरान्त आराजी जैर मुरीद खाँ की बेवा बची के नाम दर्ज रिकार्ड की गई तथा कालान्तर में बची बेवा मुरीदखाँ के फौत होने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 301 जरिये वसीयतनामा खम्मेखाँ पुत्र मुरीदखाँ के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया। वादी/प्रत्यर्थीगण के पिता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी जैर के बाबत् मु. बची द्वारा निष्पादित वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राजात् को कोई मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती तथा इसी के साथ यह भी कथन किया कि वादी मुरीदखाँ का नजदीकी रिश्तेदार है तथा मुरीदखाँ के जीवनकाल से ही वह मुरीदखँ के साथ निवास करता रहा है एवं तत्समय से ही वह वादग्रस्त भूमि पर मुरीदखाँ के साथ काबिज काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में मुरीदखाँ के सबसे नजदीकी रिश्तेदार होने एवं मुस्लिम विधि के अनुसार वह वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का मुश्तहक रहा है।

9. उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र पर जवाबदावा प्राप्त करते हुए एवं तनकीयात् कायम करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार बची द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्रजात् किये गये है। इसी के साथ यह भी अभिलिखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पति का हस्तान्तरण जरिये वसीयत, बेचान अथवा दान के माध्यम से अपनी इच्छानुसार कर सकता है। इसी अनुरूप मु. बची द्वारा अपने धारण की भूमि की वसीयत वर्ष 1991 में खम्मेखॉ के पक्ष में निष्पादित की गई है। जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि खॅम्मेखाँ के नाम दर्ज रिकार्ड की गई है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वादपत्र को खारिज किया गया। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की अपील को इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि तथाकथित वसीयत पंजीकृत नहीं होने एवं संदिग्ध मानते हुए व सजरा खानदान के अनुसार अपीलांट्/प्रतिवादी स्व. मुरीद के नजदीकी रिश्तेदार होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इस प्रकार प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् भिन्न–भिन्न एवं परस्पर विरोधाभासी मत व्यक्त किये करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये गये है।

10. इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का

मूल खातेदार काश्तकार मुरीदखाँ रहा है तथा मुरीद खाँ के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि मुरीदखाँ की बेवा बची के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। मु. बची की फौतगी के उपरान्त आराजी जैर का नामान्तरणकरण संख्या 301 तहसीलदार, पचपदरा के आदेश क्रमांक भू.अ./91/4220 दिनांक 24-10-1991 के माध्यम से खम्मेखाँ पुत्र काम्बूखाँ के नाम माफिक वसीयतनाम के अनुसार अमलदरामद किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खॅम्मेखाँ पुत्र काम्बूखाँ के नाम जरिये वसीयत राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। प्रकरण में जहाँ तक मु. बची बेवा मुरीदखाँ द्वारा दिनांक 05-01-1991 को वसीयत निष्पादित किये जाने का प्रश्न है, तथा रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादी की मुख्य आपत्ति यह रही है कि मु. बची बेचा मुरीद खाँ द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई तथा उक्त तथाकथित वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत के अनुप्रमाणों के संबंध में डीडब्लयू- 1 कादर खां एवं डीडबल्यू- 3 सुभम खां को पेश कर परीक्षण करवाया जिसपर X स्थान पर कादर खां की अंगूठा निशानी होना बताया एवं सुभग खां द्वारा भी यह कथन किया गया है कि उक्त वसीयत झबर सिंह ने हमारे समक्ष लिखी थी और मैनें वसीयत पर साख का अंगूठा किया था। इस प्रकार दोनों ही गवाहान के कथनानुसार वसीयत का निष्पादन होना साबित है। इसके खण्डन में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि खम्मेखाँ पुत्र काम्बूखाँ के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 05-01-1991 को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष की गई हो अथवा उक्त तथाकथित वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त ही किया गया हो। ऐसी स्थिति में मु. बची पत्नी मुरीदखाँ द्वारा निष्पादित की गई वसीयत आज दिनांक तक एक अखण्डनीय दस्तावेज है तथा ऐसी अखण्डनीय वसीयत की वैधता पर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई प्रश्नचिन्ह् नहीं लगाया जा सकता है। जहां तक वसीयत के पंजीकरण का प्रश्न है, वसीयत के पंजीकरण होने की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रकरण में जहाँ तक रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण का यह कथन कि वह सजरा खानदान के अनुसार मुरीदखाँ का नजदीकी रिश्तेदार है तथा मुरीदखाँ के जीवनकाल से ही वह उसके साथ निवास करता आ रहा है तथा मौके पर काबिज काश्त है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादी की तुलना में मुरीदखाँ का नजदीकी रिश्तेदार पाये जाने एवं वसीयत को पंजीकृत होना नहीं मानते हुए प्रतिवादी रीमू पुत्र अजीमखाँ के वारिसान को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या विधि प्रावधानों के अनुसारण में स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में वसीयत को संदिग्ध मानने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया है कि उक्त तथाकथित वसीयत आज दिनांक तक अखण्डनीय है तथा प्रतिवादी स्वयं के द्वारा अपने जीवनकाल में मु. बची के द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 05-01-1991 को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा इसी अनुरूप मुस्लिम विधि के अनुसार उत्तराधिकार के किन प्रावधानों के

तहत वादी मुरीदखॉं की आराजीयात् को प्राप्त करने का अधिकारी रहा है। केवल मात्र नजदीकी रिश्तेदार होने के आधार पर प्रतिवादीगण जोकि रीमू पुत्र अजीम खॉं के वारिसान है, वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं माने जा सकते। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय के माध्यम से प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

12. परिणामतः अपीलांट्स् की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-11-2003 निरस्त किया जाकर सहायक कलेक्टर, बालोतरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-10-2001 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार लौटाया जाये। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर अभिभाषकगणों को दी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य